न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 82/2017

1. लक्ष्मण पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी भदलाव तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील सवाई माधोपुर।
2. सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, सवाई माधोपुर।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक क़लेक्टर सवाई माधोपुर। मु0न0 07/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2017)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से पैराकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 08.03.2021

प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0न0 07/2012 डिक्री एवं निर्णय दिनांक 24.05.2017 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/अपीलांट ने एक वाद पत्र दावा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 बाबत इस्तकरारहक स्थाई निषेधाज्ञा, इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि वादी/अपीलांट को दिनांक 10.11.1975 को खसरा नम्बर 520/1 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम भदलाव की भूमि आवंटन होकर उसको 10.11.1975 को कब्जा दिया गया था और वादी/अपीलांट के हक में पट्टा जारी किया गया था तब से वादी/अपीलांट इस आराजी पर काबिज चला आ रहा है तथा वादी/अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। जमाबंदी सम्वत 2043-46 में वादी/अपीलांट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। वर्ष 1997 के आस पास ग्राम भदलाव में सहायक भू प्रबंधक अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा आराजी खसरा नम्बर 520/1 रकबा 05 बीघा का भू प्रबंधक विभाग द्वारा सर्वे किया गया जिसमें इस आराजी के नवीन नम्बरान, खसरा नम्बर 1068 व 1069 बनाये जाकर वादी [illegible] की आराजी खसरा नम्बर 520/1 का रकबा खातेदारी की जगह चारागाह दर्ज कर [illegible] गया जबकि भू प्रबन्धक विभाग को इस सम्बन्ध में खातेदारी [illegible] था। इसके बावजूद भी बगैर किसी नोटिस एवं सुनवाई किये बिना ही गुप्त रूप [illegible] मर्जी से इस भूमि की किस्म तब्दील कर दी जो न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत है। वादी/अपीलांट विवादित आराजीयात के नवीन ख0नं0 1068 व 1069 पर लगातार बहैसियत खातेदार काबिज चला आ रहा है। वादी/अपीलांट के पुराने खसरा नम्बर 520/1 का नवीन नम्बर खसरा नम्बर 1068

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

व 1069 बना दिया गया है और अब इस नवीन खसरा नम्बर को चारागाह बता दिया गया है जिसके कारण प्रतिवादीगण/रेस्पो0 अनावश्यक रूप से तंग व परेशान कर रहे है तथा प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 01 जबरदस्ती बेदखल करने पर उतारू है। वादी/अपीलांट को यह हक हासिल है कि वह प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को हुक्म इकतनाई दवामी से पाबंद करावे कि वह उसकी विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1068 व 1069 का इन्द्राज क्रमशः 0.67 एयर एवं 1. 11 हैक्टर में एक हैक्टर 25 एयर भूमि का इन्द्राज वादी/अपीलांट के नाम बतौर खातेदार दर्ज करावे। बिनाय दावा व बिनाय मुखासमत दिनांक 06.04.2005 को बयोम लेने नकल जमाबंदी उस समय मालुम हुई तब इस इन्द्राज का पता लगा। इसलिये दावा वादी/अपीलांट बयोम इत्म इन्द्राजात बिनाय दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत किया। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी/अपीलांट विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 डिक्री फरमाया जावे व वादी/अपीलांट को उक्त खसरा नम्बर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुसार इन्द्राज जमाबंदी में किये जावे। प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी/अपीलांट के वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत बेजा न तो स्वयं करे न ही किसी दीगर से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर वादी/अपीलांट द्वारा अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस अपीलांट एड0 व पेरोकार सरकार की सुनी गई।

8-3-2
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में, अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतो के विपरीत होने से मंसूख किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने दिनांक 24.05.2005 को राजस्व दावा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था। अधिनस्थ नयायालय ने अपीलांट के बयान लिये बिना ही दिनांक 24.05.2017 को राजस्व अभियान कैम्प भदलाव में निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का व तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा प्रेषित मौके की रिपोर्ट पर गोर किये बिना ही निर्णय पारित करने में अहम भूल की है। अपीलांट को वाके ग्राम भदलाव में दिनांक 10.11.1975 को साबिक खसरा नम्बर [illegible]/1 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि चारागाह से सिवायचक में तब्दील करते हुए आवंटन की [illegible], जिस पर अपीलांट का आवंटन से लेकर आज तक भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। साबिक खसरा नम्बर 520 का रकबा बहुत बडा रकबा था। अपीलांट के साथ कि[illegible] खटीक, गंगाविशन खटीक, रामजीलाल खटीक, मोतीलाल बैरवा, हजारी बैरवा को भी आवंटन हुई थी। साबिक खसरा नम्बर 520 की ट्रेसशीट में तरमीम नहीं होने के कारण भू प्रबंधक विभाग ने मौके पर गये बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ही नवीन रिकोर्ड तैयार किया है। भू प्रबंधक विभाग ने अपीलांट के कब्जे की भूमि हाल खसरा नम्बर 1068 रकबा 0.67 है0, खसरा नम्बर 1069 रकबा 1.07 है0 को राजस्व रिकार्ड में चारागाह में दर्ज कर दिया जबकि मौका देखे बिना ही अपीलांट के नाम से हाल खसरा नम्बर 285 रकबा 1.25 है0 दर्ज कर दिया है जबकि अपीलांट का हाल खसरा नम्बर 285 पर भौतिक कब्जा भी नहीं है। इस तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गोर नहीं किया है। अपीलांट के कब्जे की भूमि के आस पास की भूमि खसरा नम्बर 1062 रकबा 1.25 है0 रामजीलाल खटीक की, खसरा नम्बर 1065 रकबा 0.25 है0 मोती पुत्र दीना बंजारा की, खसरा नम्बर 1063 रकबा 0.41 है0 किशोर पुत्र छोटया गुर्जर के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के गवाहान के बयान लिये बिना ही एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही निर्णय करके अहम भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश इल्लीगल, इम्प्रोपर व इनकरेक्ट होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को दिनांक 07.09.2017 को न्यायालय में तारीखों की जानकारी करने पर हुई। अपी0 द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। वाके ग्राम भदलाव तहसील सवाई माधोपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 1068 रकबा 0.67 है0 खसरा नम्बर 1069 रकबा 1.07 है0 में से रकबा 1.25 है0 अपीलांट के नाम से खातेदारी में दर्ज की जाकर अपीलांट के नाम से दर्ज कृषि भूमि खसरा नम्बर 285 रकबा 1.25 है0 को चरागाह में दर्ज की जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2017 को अपास्त फरमाया जावे।

4. रेस्पो0 की ओर से पेरोकार सरकार ने जबाब बहस मे तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1068 व 1069 वाके ग्राम भदलाव में चारागाह राजस्व रिकार्ड में अंकन है जो धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है जिसकी खातेदारी दर्ज नहीं की जा सकती है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। दफा–5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के आधार पर विधिपूर्वक अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जाये एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे।

5. अपीलांट अभिभाषक व पेरोकार सरकार द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. प्रकरण के परीक्षण से सुस्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–72 वाके ग्राम भदलाव के खाता संख्या 265 के अनुसार खसरा नम्बर 285 रकबा 1.25 हैक्टर लक्षमना पुत्र मोती जाति गूजर के नाम अंकित है। क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र, भू प्रबंधक विभाग ग्राम भदलाव के अनुसार खसरा नम्बर 285 रकबा 1.25 है0 का साबिक नम्बर 520 है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2043 ल0 2046 वाके ग्राम भदलाव के खतौनी संख्या 221 पर खसरा नम्बर 520/1 रकबा 5 बीघा लक्षमना पुत्र मोती गूजर के नाम अंकित है। सिफारिश भूमि आवंटन सलाहकार समिति के अनुसार लक्षमन पुत्र मोती जाति गूजर निवासी भदलाव को खसरा नम्बर 520/1 का आवंटन किया गया है। अपील मीमो में खसरा नम्बर 285 के स्थान पर खसरा नम्बर 1068 व 1069 को अपीलार्थी के नाम दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2057 से सम्वत 2077 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1069 रकबा 1.07 साबिक खसरा नम्बर 520/8 मि. से बनना स्पष्ट है। खसरा नम्बर 1069 व 1068 चारागाह में अंकित है। यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी में आती है, जिसको अपीलार्थी के नाम दर्ज किया जाना उचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.05.2017 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इसलिए अपील खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, सवाई माधोपुर के मु0नं0 07/2012 निर्णय दिनांक 24.05.2017 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 08.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.3.21

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner